राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ4 (353)आकाशि/नि.सं./2013/703 दिनांकः– 22.10.18

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत **सत्र 2018–19 से स्नातक स्तर पर** पूर्वसंचालित संकाय व विषय में **स्थाई** अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:–

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	संचालित संकाय व विषय
विनायक ग्रुप ऑफ एज्यूकेशन सोसायटी, मंहला, तह.–दूदू, जयपुर।	विनायक कॉलेज, रेनवाल मांझी, तह.– फागी, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	**अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर** **कला संकाय**– अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, हिन्दी साहित्य, लोकप्रशासन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
3. संस्था को समय–समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2018–19 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट **www.hte.rajasthan.gov.in** से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल **www.aishe.nic.in** पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Principal
Vinayak College
Renwal Manji (Jaipur) Raj.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त–निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

क्रमांक 834 जयपुर/2011-12

यह प्रमाणित किया जाता है कि विनायक ग्रुप ऑफ एजूकेशन सोसायटी जिला–जयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण–पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 02 माह जनवरी सन् दो हजार बारह (2012) को जयपुर में किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं

(बृजेन्द्र राजोरिया)
रजिस्ट्रार संस्थाए
रजिस्ट्रार संस्थायें
जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर फोन : 2751417

①

विनायक ग्रुप ऑफ एज्युकेशन समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. **संस्था का नामः-** इस संस्था का नाम विनायक ग्रुप ऑफ एज्युकेशन सोसाइटी समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्रः-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय घड़ालो की ढाणी, मल्लों का मौजमाबाद जिला जयपुर (राज.) है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्यः-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1 प्रदेश में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।

2 विद्यार्थियों का बौद्धिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करना।

3 आधुनिक व रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना।

4 सोसाइटी द्वारा ~~उच्च~~ उच्च माध्यमिक स्तर तक विद्यालय संचालन करना।

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु -

5 सोसाइटी द्वारा महाविद्यालय संचालित करना।

चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु -

6 सोसाइटी द्वारा चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय, एवं अस्पताल का संचालन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

बाबूलाल अध्यक्ष | कैलाशचन्द धायल मन्त्री | ओमप्रकाश चौधरी कोषाध्यक्ष

7. महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु महिला महाविद्यालय सञ्चालित करना।

8. ....

9. ....

10. ....

11. ....

12. ....

13. ....

14. ....

15. ....

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

बाबूलाल अध्यक्ष | कैलाशचन्द धायल मन्त्री | ओमप्रकाश चौधरी कोषाध्यक्ष

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	बाबू लाल S/O गोपाल लाल	निजी कार्य	गुढ़, अहीरों का मौहल्ला बगरु, तह० सांगानेर जयपुर	अध्यक्ष
2.	कैलाश चन्द घायला S/O बालूराम चौधरी	एडवोकेट	घायलों की ढाणी मैंहला तह० मौजमाबाद जिला जयपुर	सचिव
3.	ओमप्रकाश चौधरी S/O रामनारायण चौधरी	निजि कार्य	ग्राम-मनोहरिया वाला, तह० सांगानेर जिला जयपुर	कोषाध्यक्ष
4.	मंजू चौधरी W/O सीताराम चौधरी	शिक्षक	ग्राम-बेराज-सुरपुरा तह० मौजमाबाद, जिला जयपुर	सदस्य
5.	विरेन्द्र सिंह S/O रामप्रकाश	कृषक	ग्राम सेवपुर, तह० गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर	सदस्य
6.	भंवर लाल S/O कानाराम	शिक्षक	ग्राम- देशमा, तह० मालपुरा, जिला टोंक	सदस्य
7.	सांवर S/O भानूराम	समाजसेवी	150 ढाणी मण्डो की कोटडी, तह० श्रीमाधोपुर (सीकर)	सदस्य
8.	सीताराम चौधरी S/O बालूराम चौधरी	कृषक	घायलों की ढाणी, मैंहला तह० मौजमाबाद (जयपुर)	सदस्य
9.	शोभादेवी W/O कैलाश चन्द	गृहिणी	मैंहला, तह० मौजमाबाद जिला, जयपुर	सदस्य

बाबूलाल
अध्यक्ष

कैलाशचन्द घायला
मन्त्री

ओमप्रकाश चौधरी
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10.	नेमीचन्द पलवारिया S/O शिवलाल	एडवोकेट	ग्राम अवानियाँ, तह० सांगानेर, जिला जयपुर	सदस्य
11.	श्रीमती पुष्पा W/O श्रवण लाल	शिक्षक	ग्राम अवानियाँ, तह० सांगानेर, जिला जयपुर	सदस्य
12.	श्रीमती सुमन W/O नेमीचन्द	शिक्षक	ग्राम अवानियाँ, तह० सांगानेर, जिला जयपुर	सदस्य
13.	रामकुवार S/O रामकरण	कृषक	घायलों की ढाणी, मैंहला तह० मौजमाबाद (जयपुर)	सदस्य
14.	लाल देवी W/O बाबू लाल	गृहिणी	बगरु तह० सांगानेर जिला जयपुर	सदस्य
15.	पुष्पा W/O मूलचन्द सारण	गृहिणी	मैंहला, तह० मौजमाबाद जिला जयपुर	सदस्य

बाबूलाल
अध्यक्ष

कैलाशचन्द घायला
मन्त्री

ओमप्रकाश चौधरी
कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	बाबूलाल S/o श्री गोपाल लाल	सिजी कार्य	32 अहीरों का मौहल्ला, बगरू त- सांगानेर- जयपुर (राज.)	बाबूलाल
2.	कैलाश चन्द घायला S/o श्री बाबूराम चौधरी	सचिव	घायलों की ढाणी, महला पो० महला, त० मौजमाबाद जयपुर	कैलाशचन्द घायला
3.	ओम प्रकाश चौधरी S/o श्री रामनारायण चौधरी	कोषाध्यक्ष	ग्राम मनोहरियावाला त० सांगानेर जयपुर	ओमप्रकाश चौधरी
4.	श्रीमती शोभा देवी W/o कैलाशचन्द घायला	गृहणी	घायलों की ढाणी, महला पो० महला, त० मौजमाबाद	शोभा
5.	मंजू चौधरी W/o सीताराम चौधरी	शिक्षक	ग्राम पो - बोराज, सुरपुरा त: मौजमाबाद जयपुर (राज.)	मंजू चौधरी
6.	विरेन्द्र सिंह S/o श्रीराम प्रकाश	कृषक	ग्राम सुखपुर, त० गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर, राज०	वीरेन्द्र सिंह
7.	श्री सीताराम चौधरी S/o श्री बाबू राम चौधरी	कृषक	घायलों की ढाणी, महला पो० महला, त० मौजमाबाद जयपुर	[illegible]
8.	नेमी चन्द भवानियां S/o शिवलाल	एडवोकेट	ग्राम व पो० भवानियां त० सांगानेर जिला जयपुर राज०	Nemichand
9.	भंवर लाल S/o कानाराम	शिक्षक	ग्राम देशमा, त० मालपुरा जिला टोंक राज०	har सिंह

8

बाबूलाल
अध्यक्ष

कैलाशचन्द घायला
मंत्री

ओमप्रकाश चौधरी
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
10.	हीरालाल भवानियां S/o श्री शिवलाल	सहायक प्रोफेसर	गांव व पो० भवानियां त० सांगानेर जिला जयपुर राज०	[illegible]
11.	रामनिवास जाट S/o रामचन्द्र	शिक्षक	ग्राम रामदत्तपुरा, पो० अजराजपुरा त० सांगानेर जयपुर	[illegible]
12.	श्रीमती पुष्पा D/o श्री लवणाराम	शिक्षक	गांव पो० भवानियां, त० सांगानेर जिला जयपुर राज०	Pushpa
13.	श्रीमती सुमन W/o नेमी चन्द	शिक्षक	गांव पो० भवानियां त० सांगानेर जिला जयपुर राज०	SUMAN
14.	आनन्दस्वरूप S/o उदमीराम	इन्टरेक्टर	18, मोटनगर सिरसी रोड, जयपुर-34	[illegible]
15.	कुंदन नेहरा S/o श्री श्रीराम	शिक्षक	135, ऑफिसर्स कैम्प सिरसी रोड जयपुर	[illegible]
16.	गोपाल लाल S/o श्री चौगान	कृषक	बगरू कलां त० सांगानेर जि- जयपुर (राज.)	गोपाल
17.	रामकुवार S/o श्री रामकरण	कृषक	गढ़ालों की ढाणी, महला त- दूदू जयपुर	रामकुवार
18.	रमेश चौधरी S/o श्री नन्दाराम	समाज सेवी	ग्राम- बोहितावास त- फागी जयपुर	रमेश चौधरी

9

बाबूलाल
अध्यक्ष

कैलाशचन्द घायला
मंत्री

ओमप्रकाश चौधरी
कोषाध्यक्ष

(5)

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19	लाली देवी W/o बाबूलाल	गृहणी	ग्राम बगरू, पो- बगरू त- सांगानेर, जयपुर (राज.)	लाली
20.	मदन लाल चौधरी S/o श्री छोटूराम चौधरी	समाज सेवी	ग्राम - गुलाबपुरा पो- शिवपुरा त- फागी जि - जयपुर (राज.)	मदन लाल
21.	पुष्पा सारण W/o मूलचन्द	गृहणी	ग्राम - महला त- मोजमाबाद, जयपुर (राज.)	पुष्पा सारण
22.	कानाराम चौधरी S/o श्री सुखाराम चौधरी	कृषक	ग्राम- रिंगेल, पो- मण्डोर वाया- त- मोजमाबाद जयपुर (राज.)	कानाराम चौधरी
23.	झाबर S/o श्री नानूराम	समाज सेवी	150, ढाणी मुण्डो की, खेड़ी, त- श्रीमाधोपुर जिला - सीकर	Jhabar
24.	सुरेश शर्मा S/o श्री राधेश्यामशर्मा	"	ग्राम- बगरू खुर्द, पो- अवानिया त- सांगानेर जयपुर (राज.)	सुरेश शर्मा
25.	लालाराम धोसल्या S/o श्री भीवाराम	"	ग्राम- धोसल्या की ढाणी राजपुरा पो- अवानिया त- सांगानेर जयपुर	लालाराम
26.	ललिता देवी W/o श्री लक्ष्मीनारायण	गृहणी	ग्राम - रामपुरा डाबड़ी पो- बगरू त- सांगानेर जयपुर (राज.)	ललिता
27.	डा. आशा डागर W/o श्री भंवर लाल डागर	कृषि चिकित्सक	ग्राम - रामपुरा डाबड़ी पो- बगरू त- सांगानेर जयपुर (राज.)	[signature]

10

बाबूलाल
अध्यक्ष

कैलाश चन्द धायला
मन्त्री

ओमप्रकाश चौधरी
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
28.	महेन्द्र चौधरी S/o श्री बद्रीनारायण चौधरी	शिक्षक	मु- लाखीरामपुरा कोदर त- सांगानेर, बगरू जयपुर	CHOUDHARY
29.	सुमन चौधरी W/o श्री हरलाल सिंह चौधरी	शिक्षक	P.No.-19,20 नन्द विहार कॉलोनी, वैशाली नगर जयपुर	CHOUDHARY
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				

11

बाबूलाल
अध्यक्ष

कैलाश चन्द धायला
मन्त्री

ओमप्रकाश चौधरी
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37.				
38.				
39.				
40.				

1. संस्था का ... 834 विनायक ग्रुप ऑफ एजुकेशन सोसायटी
2. क्रमांक ...
3. ... 16
4. ... 2-1-12
5. दिनांक ...
6. हस्ताक्षर ...

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं

(साक्षी)	(साक्षी)
M. CHOUDHARY	Ramesh
1. हस्ताक्षर	2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)	(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
महेन्द्र चौधरी (शिक्षक) डाणीरामपुरा बगरू	रमेश कुमार डाणीरामपुरा रोड बगरू

ATTESTED 26/12/2011

नोट : शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

बाबूलाल अध्यक्ष — कैलाशचन्द घायल मंत्री — ओमप्रकाश चौधरी कोषाध्यक्ष

विनायक ग्रुप ऑफ एजुकेशन समिति/सोसाइटी/~~संस्थान/संस्था~~

विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नामः-** इस संस्था का नाम विनायक ग्रुप ऑफ एजुकेशन सोसायटी समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्रः-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ग्राम बोराणी, महलाँ तह० मौजमाबाद, जिला जयपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्यः-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. प्रदेश में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
2. विद्यार्थियों का बौद्धिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करना।
3. आधुनिक व रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना।
4. सोसायटी द्वारा उच्च माध्यमिक स्तर तक विद्यालय संचालन करना।
5. उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सोसायटी द्वारा महाविद्यालय संचालित करना।
6. चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सोसायटी द्वारा चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय एवं अस्पताल का संचालन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

बाबूलाल अध्यक्ष — कैलाशचन्द घायल मंत्री — ओमप्रकाश चौधरी कोषाध्यक्ष

(6)

7. महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु महिला महाविद्यालय का संचालन करना।

8. ....

9. ....

10. ....

11. ....

12. ....

13. ....

14. ....

15. ....

....

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

बाबूलाल
अध्यक्ष

कैलाशचन्द धयला
मंत्री

ओमप्रकाश चौधरी
कोषाध्यक्ष

4. सदस्यता :– निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:–

1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

2- बालिग हों।

3- पागल, दीवालिये न हों।

4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।

5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :– संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :–

1-संरक्षक

2-विशिष्ठ

3-सम्माननीय

4-साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :– उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :–

1-संरक्षक राशि 1100/- वार्षिक/आजन्म

2-विशिष्ठ राशि 500/- वार्षिक/आजन्म

3-सम्माननीय राशि 251/- वार्षिक

4-साधारण राशि 200/- वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. एक मुश्त .... की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :– संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :–

1-मृत्यु होने पर

2-त्याग-पत्र देने पर

3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

बाबूलाल
अध्यक्ष

कैलाशचन्द धयला
मंत्री

ओमप्रकाश चौधरी
कोषाध्यक्ष

7

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:– संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :– **साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :–**

1-प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

10. साधारण सभा की बैठकें :–

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

बाबूलाल — अध्यक्ष; कैलाशचन्द थयला — मन्त्री; ओमप्रकाश चौधरी — कोषाध्यक्ष

11. कार्यकारिणी का गठन :– **संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–**

1. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक

3. मन्त्री-एक 4. कोषाध्यक्ष-एक

5. सदस्य-सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ....तीन.... पदाधिकारी व ....ग्यारह.... सदस्य कुल ....पन्द्रह.... सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :–

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :– **संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :–**

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

बाबूलाल — अध्यक्ष; कैलाशचन्द थयला — मन्त्री; ओमप्रकाश चौधरी — कोषाध्यक्ष

(8) (3)

14. कार्यकारिणी की बैठकें :–

1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :–

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :–

1-अध्यक्ष :

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मन्त्री :

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

बाबूलाल
अध्यक्ष

कैलाशचन्द घायला
मन्त्री

ओमप्रकाश चौधरी
कोषाध्यक्ष

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपमंत्री :

1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :–

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

बाबूलाल
अध्यक्ष

कैलाशचन्द घायला
मन्त्री

ओमप्रकाश चौधरी
कोषाध्यक्ष

(9)

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :– संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :–

1-अध्यक्ष ...1,00,000/-... रु.
2-मंत्री ...50,000/-... रु.
3-कोषाध्यक्ष .... रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

[Stamp: 1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 834 / 2. संस्था ... विनायक ग्रुप ऑफ एजुकेशन / 3. ... 16 / 4. ... / 5. दिनांक 2-1-12 / 6. हस्ताक्षर ... 2/1/12]

18. संस्था का अंकेक्षण :– संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :– संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :– यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाऐं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21 संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :– रजिस्ट्रार संस्थाऐं ...जयपुर... को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

[Stamp: यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था ... विधान ... पृष्ठ सं. 20 ... विनायक ग्रुप ऑफ एजुकेशन]

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) ...सोसायटी... समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है। 3/1/12

2 नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर 3/01/2012

बाबू लाल — अध्यक्ष | कैलाश चन्द घयाला — मंत्री | कोषाध्यक्ष

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

बाबू लाल — अध्यक्ष | कैलाश चन्द घयाला — मंत्री | ओमप्रकाश चौधरी — कोषाध्यक्ष

शपथ-पत्र का प्रपत्र

फोटो

मैं .... पुत्र ....
आयु .... निवासी ....
[अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष] प्रस्तावित संस्था ....
.... का सशपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि:-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था .... के पंजीयन हेतु कुल .... आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य मेरी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

नोट :- प्रस्तावित संस्था के तीन पदाधिकारियों द्वारा पृथक्-पृथक् शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के पृथक्-पृथक् स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जावे। शपथ पत्र पर शपथ ग्रहणकर्ता की पासपोर्ट साईज फोटो चस्पाकर प्रमाणित करवायी जावे।

बाबू लाल — अध्यक्ष | कैलाश चन्द घयाला — मंत्री | ओमप्रकाश चौधरी — कोषाध्यक्ष

71 (12)

रजि.नं. 834/2011-12

विनायक ग्रुप ऑफ एज्यूकेशन सोसायटी,

पताः घटालों की ढाणी, महलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर(राज0)

।। तुलनात्मक विवरण ।।

क.सं.	विधान की धारा	वर्तमान विधान का नियम	संशोधित विधान का नियम
1.	4 व 12	सोसायटी के पंजीकृत उद्देश्य संख्या 1 से 7 तक यथावत् हैं व रहेंगे ।	सोसायटी के उद्देश्यों का विस्तार करते हुये दो उद्देश्य और जोडे गये हैं:– 8– सोसायटी द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढावा देने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। 9– सोसायटी द्वारा निःशक्तजन, दृष्टिहीन, एवं मूक–बधिरों के लिये शिक्षण संस्थानों का संचालन करना ।

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

विनायक ग्रुप ऑफ एजुकेशन सोसायटी
Sresham
अध्यक्ष/सचिव / कोषाध्यक्ष

विनायक ग्रुप ऑफ एजुकेशन सोसायटी
कैलाशचन्द घटाला
अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष

विनायक ग्रुप ऑफ एजुकेशन सोसायटी
ओमप्रकाश चौधरी
कोषाध्यक्ष
अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष

राज॰ संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958
की धारा 19 के तहत

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था विषय में दाखिल कराये गये दस्तावेज जो पृष्ठ स॰ ......72...... से पृष्ठ सं॰ ......71...... तक है, की सत्यप्रति है।

1 नकल देने की दिनांक ......23.1.15......
2 नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर ......

रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

रजि.नं.834 / 2011—12

विनायक ग्रुप ऑफ एज्यूकेशन सोसायटी,

घटालों की ढाणी, महलॉ, तहसील, मौजमाबाद, जिला जयपुर(राज0)

।। तुलनात्मक विवरण ।।

क.सं.	विधान की धारा संख्या	वर्तमान विधान का नियम	संशोधित विधान का नियम
1.	4 व 12	समिति के पंजीकृत उद्देश्य संख्या 1 से 09 तक यथावत् व रहेंगे ।	समिति के उद्देश्य विस्तार करते हुये निम्न उद्देश्य और जोडे गये हैं :— 10— समिति द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय एवम् महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों का संचालन करना । 11— क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी शिक्षा केन्द्रों (I.T.I) तकनीकी महाविद्यालयों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना । 12— चिकित्सा / स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्रों, पैरामेडिकल कोर्सेज्, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी, आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा, होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा पशु चिकित्सा शिक्षा तथा योग शिक्षा केन्द्रों का संचालन करना ।

... अधिनियम 19...

यह ... किया जाता है कि ... संस्था ... में दाखिल कराये गए दस्तावेज जो पृष्ठ सं. .... से पृष्ठ सं. .... तक है, की सत्यप्रति है।

1. नकल देने की दिनांक 11-3-2020
2. नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर ....

रजिस्ट्रार संस्थाऐं जयपुर

विनायक ग्रुप ऑफ एज्युकेशन सोसायटी — अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष

विनायक ग्रुप ऑफ एज्युकेशन सोसायटी — कैलाश चन्द घेचला — अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष

विनायक ग्रुप ऑफ एज्युकेशन सोसायटी — Sangeeta — अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष

(11)

(63)

रजि.नं. 834 / 2011–12

विनायक ग्रुप ऑफ एज्यूकेशन सोसाइटी

पताः ग्राम महलॉ, तहसील दूदू, जिला जयपुर (राज.)

।। दिनांक 05.01.2014 को आयोजित आम सभा में निर्वाचित नवीन प्रबन्ध कार्यकारिणी ।।

क.सं.	नाम	पिता / पति नाम	व्यवसाय	पता	पद
1.	श्रवण कुमार	सीताराम शर्मा	अध्यापन	ग्राम महलॉ,तहसील दूदू जिला जयपुर	अध्यक्ष
2.	कैलाश चन्द घटाला	बालूराम चौधरी	अधिवक्ता	घटालों की ढाणी, ग्राम महलॉ, जिला जयपुर	सचिव
3.	ओमप्रकाश चौधरी	रामनारायण चौधरी	निजी कार्य	ग्राम मनोहरियावाला, तह.सांगानेर, जयपुर	कोषाध्यक्ष
4.	मंजू चौधरी	सीताराम चौधरी	अध्यापन	ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद, जयपुर	सदस्य
5.	विरेन्द्र सिंह	रामप्रकाश	कृषि	ग्राम शेखपुर,तह.गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर	सदस्य
6.	भंवर लाल	कानाराम	अध्यापन	ग्राम देशमा, तह.मालपुरा, जिला टोंक	सदस्य
7.	झाबर	नानूराम	समाजसेवा	ढाणी मण्डों की कोटडी तह.श्रीमाधोपुर, सीकर	सदस्य
8.	सीताराम चौधरी	बालूराम चौधरी	कृषक	घटालों की ढाणी, ग्राम महलॉ, जिला जयपुर	सदस्य
9.	शोभा देवी	कैलाश चन्द	गृहिणी	महलॉ, तहसील दूदू, जिला जयपुर	सदस्य
10.	नेमी चन्द जलवानिया	शिवलाल	अधिवक्ता	ग्राम अवानियाँ, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर	सदस्य
11.	श्रीमती पुष्पा	श्रवण लाल	अध्यापन	ग्राम अवानियाँ, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर	सदस्य
12.	श्रीमती सुमन	नेमीचन्द	अध्यापन	ग्राम अवानियाँ, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर	सदस्य
13.	रामकुवार	रामकरण	कृषि	घटालों की ढाणी, ग्राम महलॉ, जिला जयपुर	सदस्य
14.	पुष्पा सारण	मूलचन्द सारण	गृहिणी	ग्राम महलॉ, तहसील दूदू जिला जयपुर	सदस्य
15.	कानाराम चौधरी	सुण्डाराम चौधरी	कृषि	ग्राम टिकेल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर	सदस्य

राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 की धारा 19 के तहत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था विषय में प्रस्तुत ... जो पृष्ठ स. ... से पृष्ठ स. ... तक है, की सत्यप्रति है।

1 नकल देने की दिनांक 22.1.14

2 नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर Sheela

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

विनायक ग्रुप ऑफ एज्युकेशन सोसायटी
अध्यक्ष
SKSharma
अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष

विनायक ग्रुप ऑफ एज्युकेशन सोसायटी
सचिव
कैलाश चन्द घटाला
अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष

विनायक ग्रुप ऑफ एज्युकेशन सोसायटी
कोषाध्यक्ष
ओमप्रकाश चौधरी
अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष

रजि.नं. 834/2011–12

विनायक ग्रुप ऑफ एज्यूकेशन सोसाइटी

पताः–ग्राम ,महलां, तहसील दूदू ,जिला जयपुर,राजस्थान

।। दिनांक 25/12/2016 को आयोजित आम सभा मे निर्वाचित नवीन प्रबंध कार्यकारिणी।।

क.सं.	नम	पिता /पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1	श्रवण कुमार	सीताराम शर्मा	अध्यापन	ग्राम महलां तह.दूदू,जिला जयपुर	अध्यक्ष
2	कैलाश चन्द घटाला	बालूराम चौधरी	समाज सेवा	ग्राम–घटालों की ढाणी महलां,जिला जयपुर	सचिव
3	संगीता चौधरी	हरलाल सिंह चौधरी	शिक्षण	19.20 नन्दविहार,वैशाली नगर,जयपुर	कोषाध्यक्ष
4	मंजू चौधरी	सीताराम चौधरी	अध्यापन	ग्राम बोराज,तहसील मौजमाबाद,जयपुर	सदस्य
5	वीरेन्द्र सिंह	रामप्रकाश	कृषि	ग्रम– शेखपुर,तह. गंगापुरसिटी,जिला सवाईमाधोपुर	सदस्य
6	भंवर लाल	कानाराम	शिक्षण	ग्राम देशमा,तह मालपुरा,जिला टोंक	सदस्य
7	सीता देवी मीणा	रमेश चन्द मीणा	गृहिणी	ग्राम बिचून तह.दूदू,जयपुर	सदस्य
8	सुशीला चौधरी	नंदाराम चौधरी	अध्यापन	ग्राम बगरू,तह सांगानेर,जयपुर	सदस्य
9	ममता जाट	कैलाश चौधरी	गृहिणी	ग्राम श्योसिंहपुरा,तह सांगानेर,जयपुर	सदस्य
10	नेमी चन्द जलवानियां	शिवलाल	अधिवक्ता	ग्राम अवानियां, तह. सांगानेर,जयपुर	सदस्य
11	श्रीमती पुष्पा	हीरालाल	अध्यापन	ग्राम अवानियां, तह. सांगानेर,जयपुर	सदस्य
12	महेश चौधरी	बद्रीनारायण चौधरी	समाजसेवा	ग्राम ढाणीराजपुरा कोदर,तह सांगानेर,जयपुर	सदस्य
13	पुष्पा	मूलचन्द	गृहिणी	ग्राम महला,तह. दूदू, जिला जयपुर	सदस्य
14	कानाराम चौधरी	सुण्डाराम चौधरी	कृषि	ग्राम टिकेल,तह.मौजमाबाद	सदस्य
15	झाबर	नानूराम	समाजसेवा	ढाणी मण्डों की कोटडी,तह. श्रीमाधोपुर,सीकर	सदस्य

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

ज. संस्था राजस्थान ... द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज जो पृष्ठ सं. ... से पृष्ठ सं. ... तक की नकल प्रमाणित है।
1. ... दिनांक 30/3/17
2. नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

विनायक ग्रुप ऑफ एज्युकेशन सोसायटी
अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष

विनायक ग्रुप ऑफ एज्युकेशन सोसायटी
कैलाश चन्द घटाला
अध्यक्ष // सचिव // कोषाध्यक्ष

विनायक ग्रुप ऑफ एज्युकेशन सोसायटी
Sangeeta
अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष

रजि.नं. 834/2011–12

विनायक ग्रुप ऑफ एज्यूकेशन सोसाइटी

पताः–ग्राम ,महलां, तहसील दूदू ,जिला जयपुर,राजस्थान

।। दिनांक 16/02/2020 को आयोजित आम सभा मे निर्वाचित नवीन प्रबंध कार्यकारिणी।।

क.सं.	नाम	पिता /पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1	श्रवण कुमार	सीताराम शर्मा	अध्यापन	ग्राम महलां तह.दूदू,जिला जयपुर	अध्यक्ष
2	कैलाश चन्द घटाला	बालूराम चौधरी	समाज सेवा	ग्राम–घटालों की ढाणी महलां,जिला जयपुर	सचिव
3	संगीता चौधरी	हरलाल सिंह चौधरी	शिक्षण	19.20 नन्दविहार,वैशाली नगर,जयपुर	कोषाध्यक्ष
4	मंजू चौधरी	सीताराम चौधरी	अध्यापन	ग्राम बोराज,तहसील मौजमाबाद,जयपुर	सदस्य
5	वीरेन्द्र सिंह	रामप्रकाश	कृषि	ग्रम– शेरपुर,तह. गंगापुरसिटी,जिला सवाईमाधोपुर	सदस्य
6	भंवर लाल	कानाराम	शिक्षण	ग्राम देशमा,तह मालपुरा,जिला टोंक	सदस्य
7	सीता देवी मीणा	रमेश चन्द मीणा	गृहिणी	ग्राम बिचून,तह दूदू,जयपुर	सदस्य
8	सुशीला चौधरी	नंदाराम चौधरी	अध्यापन	ग्राम बगरू,तह सांगानेर,जयपुर	सदस्य
9	ममता जाट	कैलाश चौधरी	गृहिणी	ग्राम श्योसिंहपुरा,तह सांगानेर,जयपुर	सदस्य
10	नेमी चन्द जलवानियां	शिवलाल	अधिवक्ता	ग्राम अवानियां, तह सांगानेर,जयपुर	सदस्य
11	श्रीमती पुष्पा	हीरालाल	शिक्षिका	ग्राम अवानियां, तह सांगानेर,जयपुर	सदस्य
12	महेश चौधरी	बद्रीनारायण चौधरी	समाजसेवा	ग्राम ढाणीराजपुरा कोदेर,तह सांगानेर,जयपुर	सदस्य
13	पुष्पा	मूलचन्द	गृहिणी	ग्राम महलां,तह दूदू ,जिला जयपुर	सदस्य
14	कानाराम चौधरी	सुण्डाराम चौधरी	कृषि	ग्राम टिकेल,तह.मौजमाबाद	सदस्य
15	दिनेश चौधरी	हरलाल सिंह चौधरी	शिक्षक	19.20 नन्दविहार,वैशाली नगर,जयपुर	सदस्य

राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 19.. की धारा 19 के तहत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था विषय में दाखिल कराये गये दस्तावेज जो पृष्ठ सं. .... से पृष्ठ सं. .... तक है, की सत्य प्रति है।

1. नकल देने की दिनांक 11-3-2020
2. नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर ....

रजिस्ट्रार संस्थाएँ
जयपुर

अध्यक्ष
विनायक ग्रुप ऑफ एज्युकेशन सोसायटी
अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष

सचिव
विनायक ग्रुप ऑफ एज्युकेशन सोसायटी
कैलाश चन्द घटाला
अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
विनायक ग्रुप ऑफ एज्युकेशन सोसायटी
Sangeeta
अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी की सूची / EXECUTIVE COMMITTEE LIST

पं. संख्या / REG. NO.- 834/JAIPUR/2011-12 दिनांक / DATE- 27-06-2023

VINAYAK GROUP OF EDUCATION SOCIETY MAHLAN जिला **जयपुर** राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था की परिवर्तित कार्यकारिणी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा– 4 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसे संस्था के रिकॉर्ड मे संधारित किया जाता है।

VINAYAK GROUP OF EDUCATION SOCIETY MAHLAN DISTRICT **Jaipur** IS A REGISTERED INSTITUTION UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NUMBER 28, 1958) . THE CHANGED EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INSTITUTION IS SUBMITTEED BEFORE THE UNDERSIGNED UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958

SECTION- 4 (1) WHICH IS FILED IN THE SOCIETY'S RECORD.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
1		Anju Chaudhry	FEMALE	MEMBER		02/05/1999
2		Bhanwar Singh Badbadwal	MALE	MEMBER		07/08/1987
3		Dinesh Choudhary	MALE	PRESIDENT		24/08/1992
4		Kailash Chnad Ghatala	MALE	SECRETARY		24/05/1988
5		Kana	MALE	MEMBER		09/10/1977

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2023.06.27 17:31:26 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
6		Komal Devi	FEMALE	MEMBER		15/06/1996
7		Mahesh Choudhary	MALE	MEMBER		03/05/1985
8		Mamta Jat	FEMALE	MEMBER		01/01/1984
9		Nemi Chand Bairwa	MALE	MEMBER		12/12/1978
10		Pushpa Bairwa	FEMALE	MEMBER		03/10/1982
11		Sangeeta Choudhary	FEMALE	TREASURER		26/10/1994
12		Shravan Kumar	MALE	MEMBER		25/09/1987
13		Sita Devi Meena	FEMALE	MEMBER		01/01/1988
14		Susheela Choudhary	FEMALE	MEMBER		05/03/1997
15		Virendra	MALE	MEMBER		01/01/1970

नोट– इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे ।

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2023.06.27 1[illegible]:31:26 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur